रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-22082026-275678
CG-UP-E-22082026-275678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948
No. 683] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त , 2026

सा.का.नि. 749(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोत परिवहन मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद और कनिष्ठ अनुवादक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ अनुवादक से हैं, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिनहे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया जाना है, इसके द्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन जियमों के साथ उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए, आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताए और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	5* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह, ख अराजपत्रित, अनअनुसचिवीय	स्तर-6 (₹35400-112400)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच (05) वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापित की है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति;/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी एक विषय हो; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी एक विषय हो; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री हिन्दी माध्यम के रूप में हो और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी विषय हो; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय हो;	लागू नहीं होता	2 वर्ष **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होगा।	सीधी भर्ती **टिप्पण:-** अगर कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति, लंबी बीमारी, स्टडी अवकाश या किसी अन्य कारण से एक साल या उससे ज़्यादा समय के लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है जो: - जो मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हुए हों; और जिनके पास स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव हो।

और हिन्दी से अंग्रेज़ी अथवा अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद के पाठ्यक्रम का कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र, अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार कार्यालय या केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत सरकार के उपक्रम में हिन्दी से अंग्रेज़ी अथवा अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताओं पर छूट कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार है, अन्यथा उम्मीदवारों के सुयोग्य होने की परिस्थिति में लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए छूट दी जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताओं पर छूट कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के विषय में लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए यह छूट की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति; या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति; या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: - महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – अध्यक्ष; उप महानिदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय – सदस्य; और अवर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय - सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2022-प्रशासन -I]

एन. मुरुगानंदम, महानिदेशक

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Directorate General Of Lighthouses And Lightships)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2026

G.S.R. 749(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Assistant Director (OL), Group 'A' post and Junior Translator, Group 'B' post Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of Junior Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Junior Translation Officer, (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. — The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to this rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translation Officer	5*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial .	Level-6 (₹35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age/educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in English with Hindi as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory	Not applicable.	Two years Note: - For direct recruits there shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Government of India.	Direct Recruitment. Note: — "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).

or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; or Master's Degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and Recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central Government or State Government office or the Union Territories, including Government of India Undertaking. **Note (1)**—Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified **Note(2)**—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Schedule Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1) Director General of Lighthouses and Lightships – Chairman; (2) Deputy Director General, Directorate General of Lighthouses and Lightships – Member; and (3) Under Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/2/2022-ADMIN I]

N MURUGANANDAM, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA